REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 3 | DECEMBER - 2018

फसल बीमा योजना समस्या एंव समाधान : छ.ग. के बेमेतरा विकासखण्ड के सन्दर्भ में अध्ययन

डॉ. बुद्धेश्वर प्रसाद सिंघरौल[1] , चुलेश्वर[2]
[1]सहायक प्रध्यापक,वाणिज्य विभाग गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)
[2]शोधार्थी,वाणिज्य विभाग गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

अमूर्त

प्रस्तुत अध्ययन में बेमेतरा विकासखण्ड के फसल बीमा धारक किसानों से सबंधित समस्याओं का अध्ययन किया गया हैं। अध्ययन के लिए बेमेतरा विकासखण्ड के पांच गांव का चयन दैवनिदर्शन विधि से किया गया है। चयनित प्रत्येक गांव से 5 बड़े तथा 5 सीमान्त एंव लघु किसानों का चयन दैवनिदर्शन विधि से किया गया। न्यादर्श के रूप में कुल 50 फसल बीमा धारकों का चयन किया गया। समंक का एकत्रण साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया गया। समंको के विश्लेषण के लिए तालिका, रेखाचित्र, प्रतिशत सांख्यिकी उपकरणों का प्रयोग किया गया है। अध्ययन में पाया गया कि फसल बीमा में जागरूकता का अभाव, बीमा कंपनी का क्षेत्रीय कार्यालय न होना, बीमा प्रमाणक प्रदान न किया जाना, हानि का उचित मूल्यांकन न होना, अग्रिम दावां राशि प्राप्त न होना, समय पर दावा राशि प्राप्त न होना, ऋण राशि कटौती की सूचना न देना जैसे समस्याएं विद्यमान है।

परिचय :–

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार स्तम्भ है। भारत के कुल आबादी का 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जिनके जीवकोपार्जन का मुख्य श्रोत कृषि है। कृषि क्षेत्र न केवल भारत के 125 करोड से अधिक आबादी के लिए भोजन सुनिश्चित करता है, बल्कि कई उद्योग जैसे कपड़ा, शक्कर, खाद्य उत्पाद को कच्चा माल भी उपलब्ध कराता है। भारतीय कृषि पद्धत्ति को मानसून का जुआ कहने का कहावत प्रचलित है। यह कहावत भारतीय कृषि मे विद्यमान जोखिम की ओर संकेत करती है। भारत का कुल भागोलिक क्षेत्र 328.7 मिलियन हैक्टेयर है जिसमें से 140.1 मिलियन हैक्टेयर भूमि निवल बुआई क्षेत्र है और 198.4 मिलियन हैक्टेयर भूमि 142 प्रतिशत घनत्व के साथ सकल फसलकृत क्षेत्र है। जिसमें से 68.4 प्रतिशत मिलियन हैक्टेयर सकल सिचित क्षेत्र है। भारतीय कृषि जोत का लगभग 53 प्रतिशत अभी भी सिंचाई के लिए वर्षा पर आश्रित है। मौसम पर निर्भरता कृषि कार्य को अधिक संवेदनशील बनाता है, जिससे कृषि उत्पादन में अनिश्चिता आती है। ''भारत अपनी अनोखी भू–जलवायु एवं समाजिक–आर्थिक स्थितियों के कारण, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, भूकम्प, शहरी बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन और जंगल की आग जैसे भिन्न–भिन्न प्रकार के जोखिमों और अनेक आपदाओं से असुरक्षित रहा है। देश के 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 27 आपदा प्रवण है'' (वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17 एन.डी.एम.ए.)। फसल विकास के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान मौसम में सूक्ष्म उतार–चढ़ाव से उपज पर काफी प्रभाव पड़ सकता हैं। जलवायु परिवर्तन, वर्षा में परिवर्तनशीलता में वृद्धि, पानी के तनाव के कारण, पौधों की बीमारियों और कीट के प्रकोप मे वृद्धि करता है। सूखा, बाढ़, चक्रवात और तूफान की बढ़त जैसे चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति, तीव्रता और अवधि को बढ़ाकर कृषि जोखिम को बढ़ाता है। उपज जोखिम कृषि चक्र के अंत में कृषि उत्पाद की मात्रा और गुणवत्ता के अनिश्चत्तता को संदर्भित करता हैं। औसतन 12 लाख हैक्टेयर भूमि पर फसलों को सालाना प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसमी स्थितियों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है (योजना आयोग, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)। मूल्य जोखिम उन

किमतो के बारे में अनिश्चित्तता को संदर्भित करता है जो कि किसानों को उनके उपज के लिए प्राप्त होते है। उच्च उत्पादन वर्ष के दौरान, फसलों की कीमतें नीचे की ओर जाती है, जिससे किसानों की आय प्रभावित होती है। इस प्रकार किसानों को न केवल प्राकृतिक अपदा बल्कि उपज मूल्य विचलन जोखिम का भी सामना करना पड़ता हैं। किसानो को इन जोखिमों से सुरक्षित करने के लिए मजबूत बीमा प्रणाली सहायक सिद्ध हो सकती है। भारत सरकार ने किसानों को जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। पहली राष्ट्रव्यापी व्यापक फसल बीमा योजना (सीसीआईएस)1985 खरीफ में प्रस्तुत की गई थी। यह योजना एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर आधारित थी और क्षतिपूर्ति का आकलन करने के उद्देश्य से क्षेत्र इकाइयों की पहचान की गई थी। इस योजना को रबी 1999–2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनआईएस) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। वर्ष 2010–11 रबी के दौरान राष्ट्रीय बीमा योजना को संशोधित राष्ट्रीय बीमा योजना (एमएनआईएस) में परिवर्तित किया गया। वर्ष 2017–18 में फसल बीमा योजना ने सकल उपज क्षेत्र का 30 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया है अर्थात् 70 प्रतिशत सकल उपज क्षेत्र फसल बीमा योजना से वंचित हैं(कुमार, 2017)। यद्यपि 1972 से फसल बीमा देश मे रहा है फिर भी यह पारदर्शिता की कमी और किसानों को भुगतान प्राप्त न होना, देरी से भुगतान, प्रीमियम की उच्च दर जैसी समस्याओं से ग्रसित रहा है (2018,गुलाटी एवं अन्य)। कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय अपने हिस्से के कोष समय पर जारी करता है, राज्य सरकारें अपना हिस्सा जारी करने में विलंब करती है। केंन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा योजनाओं की निगरानी उचित प्रकार से नही की गई। (कैग प्रतिवेदन कृषि बीमा योजना निष्पादन 2017)। बेमेतरा जिला में कुल 86362 किसानों द्वारा वर्ष 2016 खरीफ में फसल बीमा कराया गया था। बेमेतरा विकासखण्ड में कुल 21416 किसान सभी विकासखण्ड में सर्वाधिक फसल बीमा धारक होने के कारण बेमेतरा विकासखण्ड का चयन अध्ययन के लिए किया गया। यह अध्ययन फसल बीमा योजना के समस्याओं को स्पष्ट करते हुए सुधार के लिए आवश्यक सुझाव प्रधान करता है।

अध्ययन का उद्देश्य :–

- फसल बीमा धारक किसानों की समाजिक–आर्थिक विशेषताओं का अध्ययन करना।
- फसल बीमा योजना के समस्याओं का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि :–

अनुसंधान का प्रकार :–

यह अनुसंधान वर्णानात्मक प्रकार का है।

अध्ययन चर :–

समाजिक–आर्थिक विशेषताओं के अन्तर्गत – शिक्षा, मुख्य आय स्त्रोत, परिवार का आकार, परिवार की वार्षिक आय, जोत का अकार, मुख्य उपज, फसल का प्रारूप, कृषि कार्य से बैंक खाता को शामिल किया गया है।

फसल बीमा संबधित समस्याओं के अन्तर्गत – जागरूकता कार्यक्रम, क्षेत्रीय कार्यालय, बीमा प्रमाण, हानि मूल्यांकन, अग्रिम दावा राशि, दावा राशि भुगतान अवधि, दावा राशि, प्रशासनीक अपील, ऋण कटौती की सूचना को शामिल किया गया है।

अनुसंधान विधि :–

इस अनुसंधान में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या एवं न्यादर्श :–

जनसंख्या के रूप में बेमेतरा विकासखण्ड के फसल बीमा धारक को लिया गया हैं। न्यादर्श के लिए बेमेतरा विकासखण्ड के 5 गांव बैजी, बालसमुन्द, करमतारा, पर्थरा, मुलमुला ग्राम का चयन किया गया। न्यादर्श के रूप में प्रत्येक गांव से 5 सीमान्त एवं छोटे तथा 5 बड़े किसान कुल 50 किसानों को चुना गया है।

प्रतिदर्श चयन विधि :–

प्रस्तुत शोध में किसानों के चयन में बहुस्तरी यादृच्छिक विधि का प्रयोग किया गया हैं सर्वप्रथम बेमेतरा विकासखण्ड के सभी फसल बीमा धारक किसानों की एक सूची तैयार किया गया। प्रथम स्तर पर इस सूची के द्वारा पांच गांव का चयन लॉटरी यादृच्छिक विधि से किया गया है। दूसरे स्तर पर पांच गांवों के किसानों की सूची में से लॉटरी यादृच्छिक विधि से 5 छोटे तथा सीमान्त और 5 बड़े जोत आकार के किसानों का चयन किया गया है। न्यादर्श के रूप पांच गांव से कुल 50 किसानों को चुना गया।

आकड़ो का सकंलन :–

आकड़ों के संकलन के लिए सरंचित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

आंकड़ो का विश्लेषण :–

आंकड़ों के विश्लेषण के लिए आवृति, प्रतिशत, रेखाचित्र तथा तालिका सूची का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन का महत्व :–किसानों को अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कीट प्रकोफ, मूल्य विचलन जैसे विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इनं जोखिमों सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न फ़सल बीमा योजनाएं संचालित किया जा रहा है। विभिन्न फसल बीमा योजनों के बाद भी किसानों को कृषि हानि की क्षतिपूर्ति में देरी, पर्याप्त राशि प्राप्त न होना, जैसे विभिन्न समस्याओं को सहन करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले मे सर्वाधिक किसान फसल बीमा लाभार्थी है। अध्ययन में बेमेतरा जिले के किसानों के फसल बीमा से सबंधित समस्याओं को स्पष्ट किया गया है। जिससे फसल बीमा से सबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सके।

अध्ययन की सीमाएं :–

1. अध्ययन किसानों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ो पर आधारित है इसलिए, वैधता और विश्सनीयता दिए गए जानकारी पर निर्भर करता है।
2. अध्ययन परिणाम बेमेतरा जिले के बेमेतरा विकासखण्ड तक सीमित इसलिए समान्यीकरण सीमितम हो सकता है।
3. अध्ययन कुछ चरों तक सीमित है।

साहित्य पुनरावलोकन :–

ए.गुलाटी एवं अन्य 2018''क्रॉप इन्शुरन्स इन इंडिया की एंड वे फॉरवर्ड'' यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि फसल बीमा योजना 1972 से भारत में संचालित हो रहा है। फिर भी इसमें पारदर्शिता, प्रीमियम की उच्च दर, दावों के भुगतान में देरी, जैसी समस्याओं से ग्रसित रहा है। फसल बीमा की मौजूदा प्रणाली की समस्याओं को समझते हुए खरीफ 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक नई योजना के रूप में प्रारंभ किया गया। यद्यपि बीमाकृत कुल क्षेत्र में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (वर्ष 2015–16 में 53.2 मिलियन हेक्टेयर से 2016–17 में 57.2 हेक्टेयर तक), बीमाकृत किसानों की संख्या में 20.4 प्रतिशत (47.5 मिलियन से 57.2 मिलियन) की वृद्धि हुई है, बीमा राशि में 74 प्रतिशत (115432.4 करोड़ से 200618.9 करोड़ रूपयें) की वृद्धि हुई है, और इसी अवधि में प्रीमियम भुगतान में 298 प्रतिशत (5491.3 करोड़ रूपये से 21882 करोड़ रूपये) की वृद्धि हुई है। भारत चीन, केन्या और यूएसए जैसे देशों के कुछ उत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं से कुछ सबक प्राप्त कर सकता है। 2007 में चीन सरकार द्वारा शुरू किए गए भारी प्रीमियम अनुदान कार्यक्रम ने 15 मिलियन हेक्टेयर से बीमाकृत कृषि क्षेत्र का विस्तार 2016 में 115 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाया जिसमें कुल बोए गए क्षेत्र का 69 प्रतिशत शामिल था। सरकार द्वारा देय प्रीमियम अनुदान कुल प्रीमियम राशि का 50 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया था। 2 से 4 दिनों के भीतर दावों के निपटारे में केन्या का अनुभव महत्वपूर्ण हैं। किलिमो सलामा (सेफ एग्रीकल्चर) 2009 में सिंजेटा फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (एसएफएसए) द्वारा विकसित एक मौसम सूचकांक पर आधारित बीमा उत्पाद है। फसल क्षति के आकलन और दावा राशि के भुगतान के समय कम करने के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए।

बी.दयाल एवं अन्य 2018''परसेप्शन ऑफ फारमर्स टुवर्ड्स प्रधान मंत्री क्रॉप इन्शुरन्स स्कीम''यह अध्ययन राजस्थान के सलंबर और सरादा तहसील पर आयोजित किया गया था। प्रत्येक तहसील से 5 गांव का चयन लाभार्थियों के संख्या के आधार पर किया गया था। प्रत्येक गांव से 10 किसानों का चयन दैवनिदर्शन के आधार पर किया गया। इस प्रकार कुल प्रतिदर्शजों की संख्या 100 लिया गया था। समंक का सकंलन पूर्व सरंचित साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया गया। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि प्रत्येक श्रेणी में किसानों की साक्षरता प्रमुख बाधा है। फसल पर सर्वेक्षक अनुपलब्धता अधिकांश बीमाकृत किसानों के नुकसान के लिए सबसे गंभीर समस्या थी। वित्तीय बाधाओं में समय पर प्रीमियम का प्रबंध न कर पाना भी बीमाकृत किसानों के बीच एक समस्या थी। अधिकांश बीमा धारक किसान बीमा योजना पर विश्वास नही करना एक प्रमुख सामाजिक बाधा के रूप में पाया गया। अधिकांश किसानों को सही चरण में तथा पर्याप्त मूल्याकंन नहीं होना, गंभीर तकनीकी बाधा मे रूप में था जिससे किसानों को हानि उठाना पड़ा था। बीमा धारक किसानों ने बीमा प्रतिनिधि क्षेत्रीय एवं गांव स्तर पर होने का सुझाव दिया।

डी.सी.पाण्डे एवं अन्य 2017''परफॉरमेंस ऑफ नेशनल एग्रीकल्चरल इन्शुरन्स स्कीम इन रायसेन डिस्ट्रिक यू एस नगर उत्तराखंड''यह अध्ययन यू.एस. नगर (उत्तराखंड) के रायसेन जिले तक सिमित था। अध्ययन क्षेत्र में एनएआईएस के प्रचालन और प्रदर्शन का मूल्यांकन उद्धेश्य था। प्रासंगिक सूक्ष्म स्तर के परिमाप जैसे किसानों की संख्या प्राचलन क्षेत्र, बीमाकृत प्रीमियम, दावें भुगतान आदि शामिल थे। परिणाम से स्पष्ट होता है कि बीमाकृत किसानों की संख्या में वर्षवार वृद्धि हुआ है वर्ष 2011 को छोड़कर 2008 से 2014 तक 105.75 प्रतिशत। बीमाकृत किसानों की संख्या वर्ष 2008 में (19987) तथा 2014 में (41125) थी। वर्ष 2015 में बीमा प्रीमियम अनुदान का प्रतिशत उच्चतम(85.78 प्रतिशत) था। सबसे कम बीमा प्रीमियम अनुदान वर्ष 2016 में (0.24 प्रतिशत) तथा 2014 में (0.92 प्रतिशत) था। वर्ष 2015 में बीमा योजना के अन्तर्गत श्रेणीवार 507 किसान थे जो 2016 तक 103 हो गए (वृद्धि दर 29 प्रतिशत) था। रबि फसल की तुलना में वर्ष 2008 को छोड़कर अन्य वर्षो में खरीफ की फसल में अधिक किसानो ने बीमा योजना का लाभ उठाया। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि बीमा क्षेत्र का प्रचालन, प्रीमियम एकत्रण, दावा निपटान, आदि में बीमा योजना का क्षेत्र सीमित है। इसलिए कृषि जोखिम प्रबंधन के लिए वर्तमान क्षेत्र स्तर में सुधार किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को अनुकूल प्रणाली तैयार करने और बीमा एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

साहित्य अवलोकन के आधार पर स्पष्ट होता है कि फसल बीमा योजना में विभिन्न प्रकार की समस्याएं विद्यमान है। इन समस्यओं को स्पष्ट करने की आवश्यकता है जिससे इनका समाधान किया जा सके। यह अध्ययन में बेमेतरा विकासखण्ड के किसानों को फसल बीमा से सबंधित होने वाले समस्याओं को स्पष्ट करता है तथा उन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक सुझाव भी प्रदान करता है।

शोध परिणाम–

तालिका 1.फसल बीमा धारक किसानों की समाजिक–आर्थिक विशेषताएं।

क्र.स.	व्यक्तिगत विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
शिक्षा			
1	निरक्षर	9	18
2	प्राथमिक	11	22
3	माध्यमिक	16	32
4	उच्च माध्यमिक	7	14
5	महाविद्यालीयन	7	14
परिवार का मुख्य आय स्त्रोत			
1	केवल कृषि	31	62
2	कृषि एवं मजदूरी	15	30
3	कृषि एवं शासकीय नौकरी	2	4
4	कृषि एवं गैर–शासकीय नौकरी	2	4

परिवार का आकार			
1	0–4	17	34
2	4–8	22	44
3	8–12	7	14
4	12 से अधिक	4	8
परिवार की वार्षिक आय			
1	40 हजार से 60 हजार रू.	32	64
2	60 हजार से 1 लाख रू.	7	14
3	1 लाख से 1.4 लाख रू.	2	4
4	1.4 लाख रू. से 2 लाख रू.	5	10
	2 लाख रू. से अधिक	4	8
जोत का आकार			
1	1 से 2 एकड़	11	22
2	2 से 4 एकड़	14	28
3	4 से 7 एकड़	12	24
4	7 एकड़ से अधिक	13	26
मुख्य उपज			
1	धान	42	84
2	सोयाबीन	8	16
3	अन्य	0	0
फसल का प्रारूप			
1	एकल फसल	36	72
2	मिश्रित फसल	14	28
कृषिकार्य से संबधित बैंक खाता			
1	सहकारी बैंक	30	60
2	वणिज्यिक बैंक	11	22
3	क्षेत्रीय ग्रमीण बैंक	8	16
4	अन्य बैंक	1	2

विवेचना :– तालिका 1 से स्पष्ट होता है कि बेमेतरा विकासखण्ड के फसल बीमा धारक किसानों के सर्वाधिक 32 प्रतिशत किसानों ने केवल माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त किया है। किसानों के मुख्य आय श्रोत केवल कृषि है। कृषि कार्य से आय से प्राप्त करने वाले किसान 62 प्रतिशत पाया गया हैं। बेमेतरा विकासखण्ड के किसानों के परिवार का आकार 4–8 वाले किसानों की संख्या अधिक है। किसान परिवारों की वार्षिक आय 40 से 60 हजार के मध्य पाया गया है। बेमेतरा विकासखण्ड फसल धारक किसानों में 2–4 एकड़ धारक किसानों का प्रतिशत अधिक है। किसानों द्वारा मुख्य फसल के रूप में धान का उत्पादन किया जाता है। विकासखण्ड के अधिकांश किसानों द्वारा एकल फसल का प्रारूप में उत्पादन किया जाता है। कृषिकार्य से सबधित बैंक कें रूप में जिला सहकारी बैंक का प्रयोग किसानों द्वारा किया जाता है।

LBP PUBLICATION

फसल बीमा योजना की समस्याएं–

1. **जागरूकता कार्यक्रम का अभाव**–फसल बीमा योजना के प्रति किसानों का जागरूक बनाने के लिए कार्यक्रम के दिशानिर्देश में स्पष्ट किया गया है कि किसानों को फसल बीमा योजना के प्रति जागरूक किया जाए। फसल बीमा लाभार्थीयों में सें 84 प्रतिशत किसानों ने माना कि उनके क्षेत्रीय स्तर पर फसल बीमा के जागरूकता से सबंधित कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है। उत्तरदाता किसानों में से सभी किसानों को फसल बीमा के दावें की राशि गणना की जानकारी नहीं है और न ही बीमा प्रीमियम के दर के बारे में पता है। इससे स्पष्ट होता है कि बीमा कंपनी तथा स्थानीय प्रशासन ने फसल बीमा योजना के जागरूकता के लिए केवल खानापूर्ति किया है।

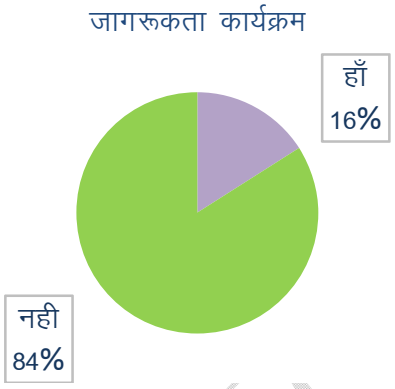

चित्र क्र 1

2. **बीमा कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय का अभाव**– फसल बीमा योजना के कार्यक्रम परिचालन दिशानिर्देश के अनुसार क्षेत्रीय स्तर पर फसल बीमा कपंनी का कार्यालय होना चाहिए। जिससे किसानों को होने वाली समस्यओं का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान हो सके। अध्ययन क्षेत्र के 96 प्रतिशत किसानों ने माना कि क्षेत्रीय स्तर पर बीमा कंपनी का कोई भी कार्यालय उपलब्ध नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि बीमा कंपनी कागजी स्तर पर कार्य कर रही है। जबकि कंपनी को क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करना चाहिए।

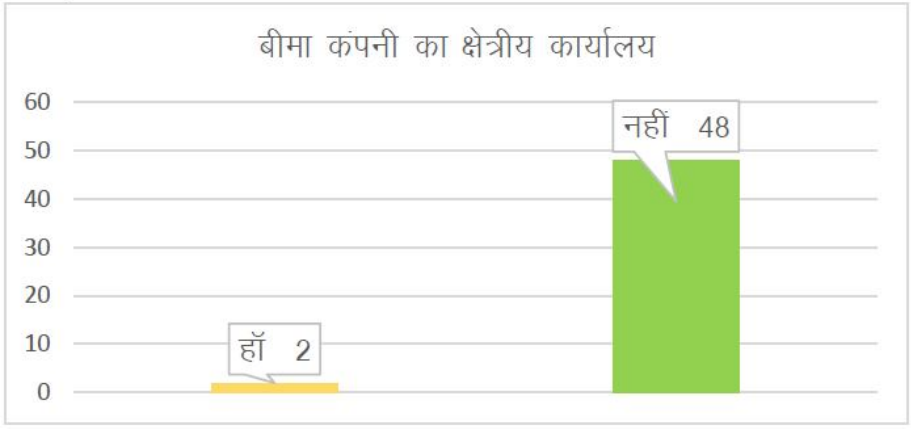

चित्र क्र 2

3. **बीमा प्रमाणक न दिया जाना**–फसल बीमा करने के पश्चात् बीमा होने के प्रमाण के रूप में कोई रसीद या प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है। ऋणी किसानों के खाते से अनिवार्य रूप से प्रीमियम राशि कटौती की जाती है। जबकि गैर–ऋणी के आवेदन के आधार पर फसल बीमा किया जाता है। 43 प्रतिशत किसानों ने माना की बीमा हो जाने के प्रमाण स्वरूप कोई भी प्रमाणक या रसीद नहीं दिया जाता है। जबकि केवल 7 प्रतिशत किसानों ने माना कि बीमा प्रमाणक प्रदान किया जाता है। किसानों को क्षतिपूर्ति के

रूप में प्राप्त होने वाले दावा राशि तथा दावा राशि प्राप्त होने के समय के सबंध में कोई भी जानकारी नहीं होती है। किसानों को फसल का बीमा कराए जाने का प्रमाण प्राप्त होना चाहिए। जिससे उन्हें प्राप्त होने वाले दावा राशि तथा बीमा प्राप्त होने की सम्भावित अवधि का उल्लेख होना चाहिए।

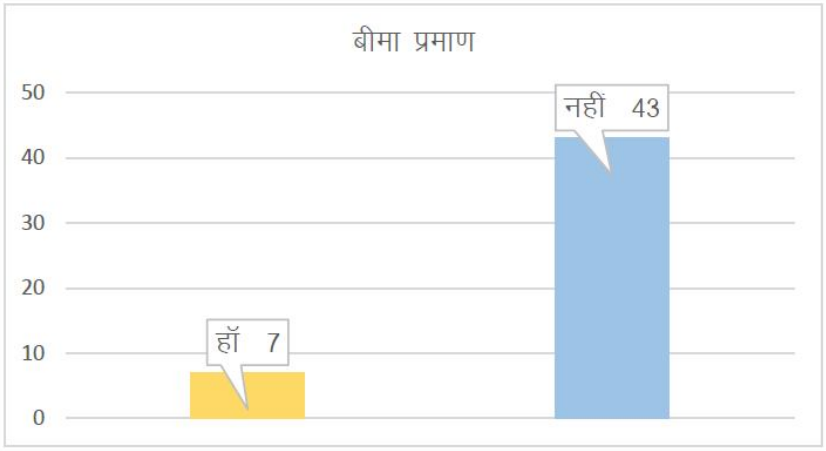

चित्र क्र 3

4. **हानि का उचित मूल्यांकन न होना**—गांव स्तर पर फसल क्षति का मूल्यांकन पटवारी के द्वारा किया जाता है। फसल बीमा लाभार्थीयों से ज्ञात हुआ कि पटवारी कुछ ही क्षेत्रों के फसल क्षति के मूल्यांकन के आधार पर समस्त गांव स्तर के क्षति का मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार करता है। 34 प्रतिशत किसानों ने माना कि हानि का मूल्यांकन उचित रूप में नही किया जाता है। जबकि 16 प्रतिशत किसानों ने माना कि हानि का मूल्यांकन उचित रूप में किया जाता हैं।

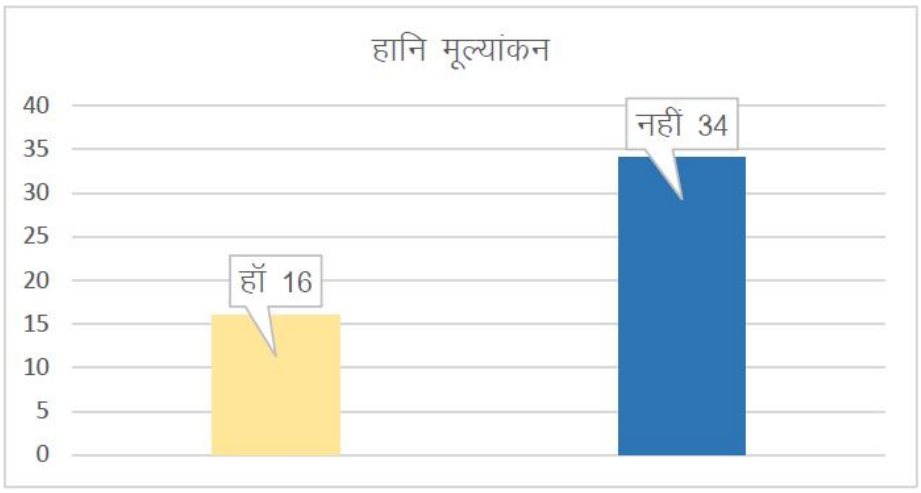

चित्र क्र 4

5. **अग्रिम दावा राशि प्राप्त न होना**—फसल बीमा योजना निर्देर्शीका के आधार पर किसानों को सम्भावित हानि की दशा में 25 प्रतिशत तक बीमा राशि का अग्रिम रूप में भुगतान किया जाना चाहिए। परन्तु 94प्रतिशत फसल बीमा लाभार्थीयों ने माना कि उन्हे कोई अग्रिम दावां राशि प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार की विशिष्ट हानि के मूल्यांकन करने के लिए कोई मूल्यांकनकर्त्ता उनके गांव पर नहीं आया और न ही उनको अग्रिम दावां राशि प्राप्त हो रहा है।

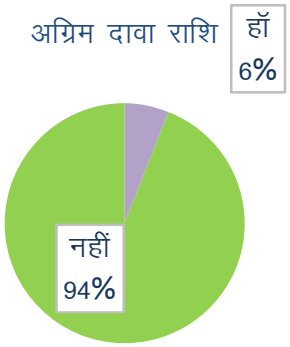

चित्र क्र 5

6. **समय पर दावा राशि प्राप्त न होना**–50 फसल बीमा लाभार्थीयों में से 76 प्रतिशत किसानों ने माना कि उन्हें समय पर दावा राशि प्राप्त नही हो रहा है। जबकि 24 प्रतिशत किसानों ने माना कि उन्हें समय पर प्राप्त हो रहा है। दावा राशि विलंब में प्राप्त होना एक प्रमुख समस्या के रूप में विद्यमान है।

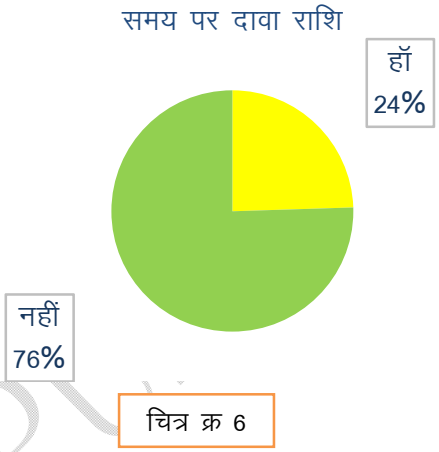

चित्र क्र 6

7. **दावा राशि प्राप्त होने में विलंब**–50 फसल बीमा लाभार्थीयों में से 68 प्रतिशत ने माना कि उन्हें.6 माह से अधिक विलंब से राशि प्राप्त हुआ। 20प्रतिशत किसानों ने माना कि उन्हें 4–6 माह विलंब से बीमा दावा राशि प्राप्त हुआ। 12प्रतिशत किसानों ने माना कि उन्हे 2 से 4 माह विलंब से बीमा राशि प्राप्त हुआ। अधिकांश किसानों को बीमा दावां रशि प्राप्त करने में 6 माह से अधिक तक इंतजार करना पड़ रहा है।

LBP PUBLICATION

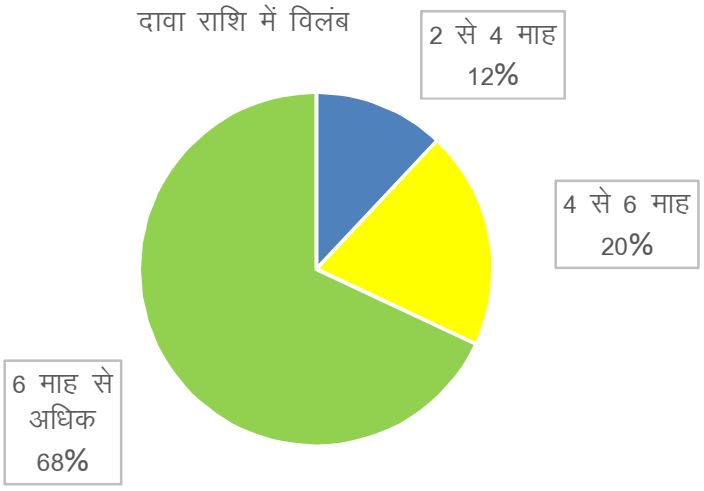

चित्र क्र 7

8. **बीमा राशि एवं प्राप्त दावां राशि में अन्तर होना**–फसल बीमा लाभार्थी किसानों को क्षतिपूर्ति के रूप प्राप्त होने वाले राशि का ज्ञान नहीं है। 76प्रतिशत किसानों ने माना कि उन्हें बीमा दावा प्राप्त होने वाले बीमा राशि की गणना करना नहीं आता है। 14 प्रतिशत किसानों ने माना कि प्राप्त दावा राशि में कोई अन्तर नहीं है। 10 प्रतिशत किसानों ने माना कि प्राप्त दावा राशि में अन्तर है। किन्तु जब एक ही गांव के समान जोत अकार के किसानों को अलग–अलग बीमा राशि प्राप्त होता है तो उन्हें बीमा राशि में अन्तर का ज्ञान होता है।

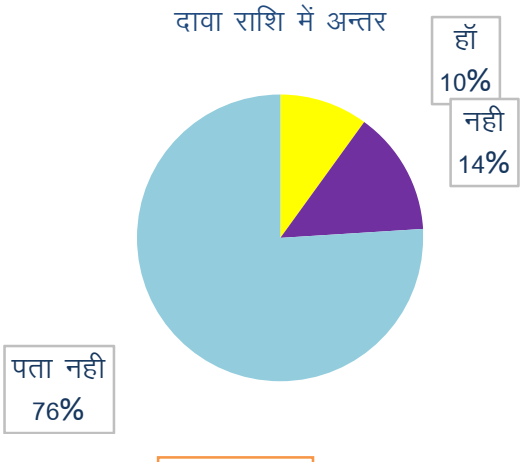

चित्र क्र 8

9. **प्रशासनीक अपील न किया जाना**–फसल बीमा लाभार्थी किसानों मे सें 63 प्रतिशत किसानों ने माना कि उन्होने ने फसल बीमा की समस्यओं को लेकर किसी प्रशासनीक कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए। जबकि 37 प्रतिशत किसानों ने माना कि उन्होनें प्रशासनीक अपील किया है। स्पष्ट होता है कि प्रशासन स्तर पर समस्याओं के बारे मे सूचनाएं नहीं पहुंच रहीं है। 37 प्रतिशत किसानों ने अपील किया उन्हें उचित समाधान प्राप्त नही हो पाया।

प्रशासनीक अपील

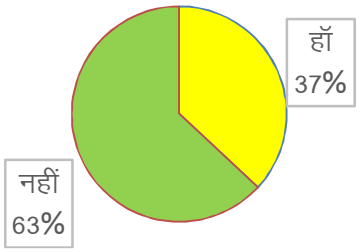

चित्र क्र 9

10. **बीमा राशि से ऋण की राशि की कटौती की सूचना न होना**—फसल बीमा लाभार्थी किसानों में से 76 प्रतिशत किसानों ने माना कि उनके द्वार बैंक से लिए ऋण की राशि की कटौती की सूचना फसल बीमा के दावें के राशि से किया जा रहा है। लेकिन इसके बारे में किसानों को बैंकों के द्वारा कोई सूचना नहीं दी जा रही है। 24 प्रतिशत किसानों ने माना कि उन्हें दावें की रशि से ऋण राशि की कटौती की सूचना दिया गया है। बैंक के द्वारा जब दावा रशि प्राप्त होता है उसी समय किसानों को आवश्यक सूचना प्रदान करना चाहिए। साथ ही दावा की राशि से ऋण की राशि की कटौती की सूचना किसानों को दिया जाना चाहिए।

ऋण कटौती की सूचना

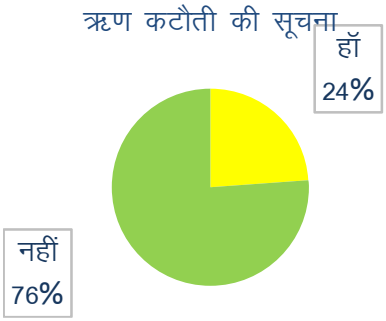

चित्र क्र 11

सुझाव :—

1. किसानों के मध्य फसल बीमा योजना लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है। किसानों को जागरूक करने के लिए सरकार, बैंक तथा बीमा कंपनी द्वारा जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया जाना चाहिए।
2. बीमा कंपनी के द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर कार्यालय की स्थापना की जानी चाहिए।
3. बीमा धारक किसानों को बीमा प्रमाणक उपलब्ध किया जाना चाहिए।
4. हानि का मूल्यांकन उचित रूप में किया जाना चाहिए।
5. हानि होने की सम्भावना पर अग्रिम दावा राशि का भुगतान प्रावधान के आधार पर किया जाना चाहिए।
6. दावा राशि का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए।
7. दावा राशि एवं प्राप्त राशि में अन्तर को दूर करने की आवश्यक प्रयास किया जाना चाहिए।
8. किसानों को प्रशासन को समस्या से आवगत करना चाहिए।
9. बैंक द्वारा किसानों को क्षतिपूर्ति राशि से ऋण कटौती की सूचना प्रदान किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ :—

https://bemetara.gov.in/en/

वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार।
कैग प्रतिवेदन सारांश कृषि फसल बीमा योजनांए।
Gulati, A., Terway, P., & Hussain, S. (2018). *Crop insurance in India: Key issues and way forward* (No. 352). Working Paper.
Dhayal, B. L., Bairathi, R., & Sharma, A. K. (2017). Perception of Farmers Towards Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme. *Indian Research Journal of Extension Education*, *18*(1), 53-57.
Pandey, D. C., Pal, V. K., Singh, P. P., & Meena, R. (2017). Performance of National Agricultural Insurance Scheme in Raisen District of US Nagar (Uttarakhand)-An Economic Evaluation. *Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci*, *6*(6), 2875-2880.
Kumari, M., Singh, K. M., Sinha, D. K., Ahmad, N., & Mishra, R. R. (2017). Role of socio-economic variables in adoption of crop insurance: A Discriminant Function Approach.
Kumar, Vineet; PRADHAN MANTRI FASAL BIMA YOJANA (2017)

डॉ. बुद्धेश्वर प्रसाद सिंघरौल
सहायक प्रध्यापक,वाणिज्य विभाग गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

चुलेश्वर
शोधार्थी,वाणिज्य विभाग गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

LBP PUBLICATION